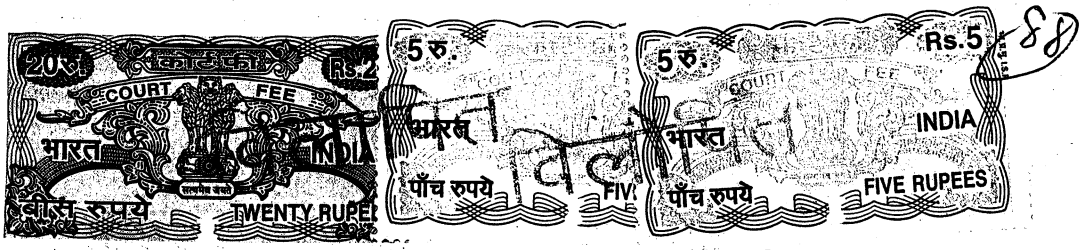

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1– आनंद तनय विद्याधर बाजपेई ,

2– राहुल तनय हरिश्चंद वाजपेई ,

3– शिवांक तनय हरिश्चंद वाजपेई ,

निबासी खरों, तहसील लिधौरा , जिला टीकमगढ़ म0प्र0

द्वारा आज दि. 20/4/16 को

परस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

.....आवेदकगण

वनाम

1– म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार, वृत स्यावनी, जिला टीकमगढ़,

2– श्रीमति पार्वती देवी पत्नि स्व0 राधेश्याम तिबारी, आयु 75 साल, निबासी खरों, तहसील लिधौरा , जिला टीकमगढ़ म0प्र0

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा प्र0क0 175/अ–6/2015–16 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 12/04/16 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, राधेश्याम तिबारी नामक ब्यक्ति के नाम से ग्राम खरों, तहसील लिधौरा, जिला टीकमगढ़ में बिभिन्न खसरा नंबरों की भूमि, भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। उपरोक्त भूमि खानदानी भूमि थी, जो राधेश्याम को उनके पिता जगन्नाथ तिबारी से वारिसान हक में प्राप्त हुई थी।

3– यह कि बसीयतकर्ता राधेश्याम चूंकि काफी बृद्व हो गये थे, उनकी पत्नि अनावेदिका भी कॉफी बृद्व है, इसलिये उनके द्वारा आवेदकगण की सेवा खुशामद से खुश होकर दिनांक 27/09/2014 को एक बसीयतनामा अपने पूर्णहोश एवं हवाश में अपनी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1235/II /2016 जिला– टीकमगढ़

स्थान तथा दनांक	कार्यवाही तथा आदेश आनंद बगैरह व अन्य वनाम म0 प्र0 शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.4.16	(1) 1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्र0क0 175/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12/04/16 से परिवेदित होकर कर प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदनत्र एवं शपथपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत कीं गई हैं। आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण का अवलोकन कया गया। 2– यह कि प्रकरण में उभयपक्षों के माध्य अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग के समक्ष राजीनामा मय शपथपत्रों के प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उभयपक्षों द्वारा इस बात की सहमति प्रदान की गई है कि, प्रकरण की वादग्रस्त भूमि जो बसीयतकर्ता राधेश्याम के नाम पर थी, दोंनों पक्षों के बीच आधी–आधी नाम से कर दी जाबे। अनावेदिका के नाम जो भूमि राजीनाम के आधार पर दर्ज की जाबेगी, वह भी अनावेदिका की मृत्यु के उपरांत आवेदकगण के नाम पर दर्ज की जाबे। 3– यह कि उपरोक्त राजीनामा को अपर आयुक्त द्वारा इस आधार पर अमान्य करके अपील निरस्त की है कि, अंतरण बिना बैधानिक बिक्रय बिलेख के मान्य करने योग्य नहीं है। मैं अपर आयुक्त के उपरोक्त निष्कर्ष से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आवेदकगण के नाम से वादग्रस्त भूमि के भूमि स्वामी राधेश्याम द्वारा एक बसीयतनामा लेख किया गया था, जिसे नायब तहसीलदार द्वारा बिचारण उपरांत अपने आदेश दिनांक 14/08/2015 के द्वारा मान्य करके आवेदकगण के नाम वाद भूमि का नामांतरण करने का आदेश पारित किया था। जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/11/2015 के द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करके वाद भूमि पर अनावेदिका क0 02 का नाम वारिसान हक में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था। इस प्रकार से दोंनों ही पक्ष उपरोक्त भूमि पाने की पात्रता रखते	

(2) निग0 प्र0क0 1235/II /2016

हैं। अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय को उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाना चाहिये था।

4— यह कि अनावेदिका कमांक 02 पार्वती, जो मृत भूमिस्वामी राधेश्याम की पत्नि है, उसके द्वारा अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय में स्वयं उपथित होकर राजीनामा प्रस्तूत किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में उसे तलब किया जाना आवश्यक नहीं है।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी राजीनामा के आधार पर स्वीकार की जाती है, संबंधित नायब तहसीलदार बृत स्यावनी को निर्देशित किया जाता है कि उनके न्यायालय से निराकृत प्रकरण कमांक 30/अ—6/2014—15 आदेश दिनांक 14/08/2015 से संबंधित राधेश्याम के नाम की भूमि पर, 1/2 हक में आवेदकगण के नाम दर्ज किये जाबें, तथा 1/2 हक पर अनावेदिका कमांक 02 पार्वती का नाम दर्ज किया जाबे। आवेदकगण के नाम जो भूमि 1/2 हक में दर्ज की जाबेगी, उसमें से भी 1/2 भूमि पर आवेदक क0 एक आनंद का नाम दर्ज किया जाबे, तथा 1/2 भूमि पर आवेदक कमांक दो राहुल तथा आवेदक कमांक तीन शिवांक का नाम दर्ज किया जाबे। अनावेदिका कमांक दो पार्वती की मृत्यु के बाद उनके नाम से दर्ज भूमि पर उपरोक्तानुसार हक में ही आवेदकगण के नाम दर्ज किये जाबे। अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायायल में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 11/04/2016 इस आदेश का अंग होगा। प्रकरण का परिणम दर्ज कर दा0 द0 हो।

सदस्य